Samyak
An Institute For Civil Services

Model Answer

Que.Describe the key recommendations of various commissions and committees on centre state relations and its impact on federalism in India .

Centre-State relations in India refer to the distribution of powers, responsibilities, and resources between the Union and the States as outlined in the Indian Constitution (Articles 245-263). Though India is a federal country, its federalism is often termed "quasi-federal" due to the strong unitary bias, especially in matters of national importance. To address the dynamic needs of governance and federal balance, various commissions and committees have provided recommendations over the years.

Key Recommendations of Various Commissions and Committees

(a) Sarkaria Commission (1983)

- **Purpose:** Set up to review Centre-State relations in light of increasing demands for state autonomy.
- **Major Recommendations:**
  - **Legislative Relations:** States should have more flexibility in managing subjects in the State List. Article 356 (President's Rule) should be used sparingly.
  - **Role of Governor:** Should act as a neutral constitutional head, not as an agent of the Centre. The appointment process should involve consultation with the Chief Minister of the concerned state.
  - **Inter-State Council:** Recommended activation of the Inter-State Council under Article 263 to serve as a forum for dialogue between the Centre and the States.
  - **Financial Relations:** Greater fiscal autonomy to states with a fair distribution of resources.

(b) Punchhi Commission (2007)

- **Purpose:** Reviewed Centre-State relations in a changing socio-political landscape.
- **Key Recommendations:**
  - **Governor's Role:** Fixed tenure for Governors, clear guidelines to prevent misuse of power, and limiting discretionary powers.
  - **National Security:** Suggested creation of a federal agency for internal security, but with states' consent to prevent over-centralization.
  - **Fiscal Federalism:** Called for more financial devolution to states and flexibility in centrally sponsored schemes.
  - **Emergency Provisions:** Stricter conditions for imposing President's Rule to protect states' autonomy.

(c) Rajamannar Committee (1969)

- **Purpose:** Appointed by the Tamil Nadu government to examine Centre-State relations.
- **Recommendations:**
  - **More State Autonomy:** Advocated for transferring several subjects from the Union List to the State List.
  - **Governor's Powers:** Suggested curtailing the discretionary powers of Governors.
  - **Abolition of Article 356:** Proposed to restrict or abolish the provision for President's Rule due to its misuse.

(d) National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC) (2000)

- **Purpose:** To suggest amendments for improving governance and Centre-State relations.
- **Key Recommendations:**
  - **Financial Relations:** States should receive a larger share of central taxes to reduce dependency.
  - **Inter-State Council:** Strengthening the Inter-State Council for better dispute resolution.
  - **Decentralization:** Emphasized the importance of local governance through the effective implementation of the 73rd and 74th Constitutional Amendments.

3. Impact on Federalism in India

(a) Positive Impacts:

- **Strengthened Cooperative Federalism:** Activation of the Inter-State Council has fostered dialogue between the Centre and States.
- **Financial Devolution:** Based on commission recommendations, Finance Commissions have increased states' share in central taxes (e.g., 42% as per the 14th Finance Commission).
- **Decentralization:** The 73rd and 74th Amendments promoted grassroots democracy through Panchayati Raj and urban local bodies.

(b) Challenges and Issues:

- **Centralization of Power:** Despite recommendations, the Centre retains significant control over legislative, administrative, and financial matters.
- **Misuse of Governor's Office:** The appointment and functioning of Governors often reflect political bias, contrary to commission recommendations.
- **Inconsistent Implementation:** Key recommendations, especially from the Rajamannar and Punchhi Commissions, remain unimplemented, limiting their impact on federal balance.

The recommendations of various commissions and committees have significantly influenced the discourse on Centre-State relations, aiming to strike a balance between national unity and regional autonomy. While some reforms, like fiscal devolution and the strengthening of local governance, have been implemented, challenges such as centralization tendencies and political misuse of constitutional provisions persist.

प्रश्न. केंद्र राज्य संबंधों पर विभिन्न आयोगों और समितियों की प्रमुख सिफारिशों और भारत में संघवाद पर इसके प्रभाव का वर्णन करें।

भारत में केंद्र-राज्य संबंध भारतीय संविधान (अनुच्छेद 245-263) में उल्लिखित संघ और राज्यों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों के वितरण को संदर्भित करते हैं। यद्यपि भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसके संघवाद को अक्सर मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह के कारण "अर्ध-संघीय" कहा जाता है, खासकर राष्ट्रीय महत्व के मामलों में। शासन और संघीय संतुलन की गतिशील आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, विभिन्न आयोगों और समितियों ने पिछले कुछ वर्षों में सिफारिशें प्रदान की हैं।

विभिन्न आयोगों और समितियों की प्रमुख सिफारिशें

(a) सरकारिया आयोग (1983)

उद्देश्य: राज्य स्वायत्तता की बढ़ती मांगों के मद्देनजर केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया।

प्रमुख सिफारिशें:

- *विधायी संबंध: राज्यों को राज्य सूची में विषयों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन होना चाहिए। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए।*
- *राज्यपाल की भूमिका: केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक तटस्थ संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श शामिल होना चाहिए।*
- *अंतर-राज्य परिषद: अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद को सक्रिय करने की सिफारिश की गई, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के लिए एक मंच के रूप में काम किया जा सके।*

- *वित्तीय संबंध: संसाधनों के उचित वितरण के साथ राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता।*

(b) पुंछी आयोग (2007)

उद्देश्य: बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की गई।

· मुख्य सिफारिशें:

o राज्यपाल की भूमिका: राज्यपालों के लिए निश्चित कार्यकाल, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना।

o राष्ट्रीय सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संघीय एजेंसी बनाने का सुझाव दिया गया, लेकिन अति-केंद्रीकरण को रोकने के लिए राज्यों की सहमति के साथ।

o राजकोषीय संघवाद: राज्यों को अधिक वित्तीय हस्तांतरण और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लचीलेपन का आह्वान किया गया।

o आपातकालीन प्रावधान: राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सख्त शर्तें।

(c) राजमन्नार समिति (1969)

· उद्देश्य: तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया।

· सिफारिशें:

o अधिक राज्य स्वायत्तता: संघ सूची से कई विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की वकालत की गई।

o राज्यपाल की शक्तियाँ: राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने का सुझाव दिया गया।

o अनुच्छेद 356 का उन्मूलन: इसके दुरुपयोग के कारण राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को प्रतिबंधित या समाप्त करने का प्रस्ताव।

(d) संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) (2000)

· उद्देश्य: शासन और केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिए संशोधनों का सुझाव देना।

· प्रमुख सिफारिशें:

o वित्तीय संबंध: निर्भरता कम करने के लिए राज्यों को केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए।

o अंतर-राज्य परिषद: बेहतर विवाद समाधान के लिए अंतर-राज्य परिषद को मजबूत करना।

o विकेंद्रीकरण: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से स्थानीय शासन के महत्व पर जोर दिया गया।

भारत में संघवाद पर प्रभाव

(क) सकारात्मक प्रभाव:

- *सहकारी संघवाद को मजबूती मिली: अंतर-राज्यीय परिषद के सक्रिय होने से केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ावा मिला है।*
- *वित्तीय हस्तांतरण: आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वित्त आयोगों ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई है (उदाहरण के लिए, 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42%)।*
- *विकेंद्रीकरण: 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया।*

(ख) चुनौतियाँ और मुद्दे:

- *सत्ता का केंद्रीकरण: सिफारिशों के बावजूद, केंद्र विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता है।*
- *राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग: राज्यपालों की नियुक्ति और कामकाज अक्सर राजनीतिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो आयोग की सिफारिशों के विपरीत है।*
- *असंगत कार्यान्वयन: मुख्य सिफारिशें, विशेष रूप से राजमन्नार और पुंछी आयोगों की सिफारिशें, लागू नहीं की गईं, जिससे संघीय संतुलन पर उनका प्रभाव सीमित हो गया।*

विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों ने केंद्र-राज्य संबंधों पर चर्चा को काफी प्रभावित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना है। हालांकि कुछ सुधार, जैसे कि राजकोषीय हस्तांतरण और स्थानीय शासन को मजबूत करना, लागू किए गए हैं, लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और संवैधानिक प्रावधानों के राजनीतिक दुरुपयोग जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

Samyak
An Institute For Civil Services